रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2004/वैशाख 23, 1926
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2004/VAISAKHA 23, 1926

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

**सा.का.नि. 313(अ).**—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2003 का प्रारूप, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 9(अ), तारीख 5 जनवरी, 2004 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 5 जनवरी, 2004 में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 30 दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 जनवरी, 2004 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और ऐसे प्रारूप नियमों के संबंध में उपरोक्त अवधि की समाप्ति के भीतर किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2004 है।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं;

3. **पीठासीन अधिकारी की शक्तियां.**—पीठासीन अधिकारी की वही शक्तियां होंगी जो साधारण वित्तीय नियम, 1963, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, मूल नियम, अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्य ग्रहण काल) नियम, 1979, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 की बाबत विभागाध्यक्ष को प्रदत्त की गई है;

परन्तु इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

[फा. सं. एन एच-11014/1/2003-पी एंड एम]

इंदु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2004

**G.S.R. 313(E).**— Whereas the draft of the National Highways Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2003, was published as required by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of Section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th January, 2004 with the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 9(E), dated the 5th January, 2004, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of said notification, as published in Gazette of India, are made available to the public;

And, whereas, copies of the gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th January, 2004;

And, whereas, no objections or suggestions had been received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period abovesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of Section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Highways Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date on which the Act comes into force.

**2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

(b) "Tribunal" means the National Highways Tribunal established under sub-section (1) of Section 5 of the Act;

(c) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of the Tribunal under sub-section (1) of Section 6 of the Act;

(d) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Powers of the Presiding Officer.**— The Presiding Officer shall have the same powers as are conferred on a Head of Department in respect of the General Financial Rules 1963, the Delegation of the Financial Powers Rules, 1978, the Fundamental Rules, the Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Central Services (Pension) Rules, 1972, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960:

Provided that the exercise of powers by the Presiding Officer under these rules shall be subject to such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

[F. No. NH-11014/1/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.